भीलवाड़ा में डायन प्रथा

(एक रिपोर्ट)

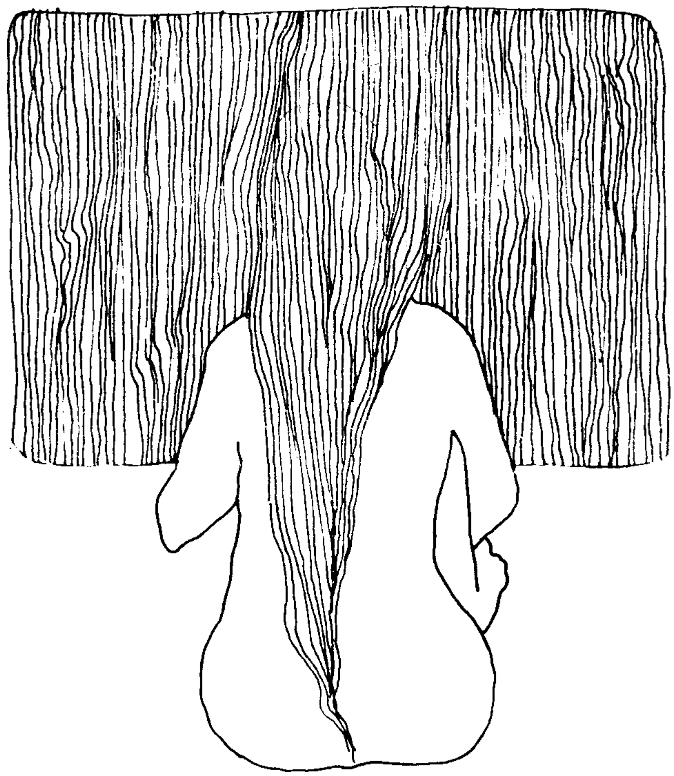

तारा अहलूवालिया

लेखनः
तारा अहलूवालिया

संपादनः
जागोरी

चित्रः
शीबा छाछी, जागोरी नोटबुक से साभार

पेज सज्जा
शबाना

प्रकाशक
जागोरी
बी-114, शिवालिक, मालवीय नगर
नई दिल्ली-110017
फ़ोनः 011 2669 1219, 1220
फ़ैक्सः 011 2669 1221
हैल्पलाईनः 011 2669 2700
ई-मेल - jagori@jagori.org

मुद्रणः
चौहान ग्राफिक्स

जागोरी - एक नज़र

जागोरी की शुरुआत 1984 में हुई थी। यह औरतों का प्रशिक्षण, संप्रेक्षण, डॉक्यूमेंटेशन व संदर्भ केंद्र है। जागोरी व्यापक स्तर पर औरतों के जीवन पर सीधा प्रभाव डालने वाले अनेक मुद्‌दों जैसे सांप्रदायिक हिंसा, आर्थिक नीतियों, प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम व नीति और औरतों पर होने वाली हिंसा पर काम करती है। जागोरी के मुख्य उद्‌देश्य हैं-

φ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों व बालिकाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्‌दों पर चेतना जागृति लाना व संघर्ष करना।

φ विभिन्न मुद्‌दों पर काम कर रहे समूहों के लिए सृजनात्मक पठन सामग्री व महत्वपूर्ण विषयों संप्रेक्षण सामग्री का प्रकाशन व वितरण करना।

φ महिला समूहों, स्वयंसेवी संस्थाओं व विकास खण्ड की सूचना तथा विश्लेषण की ज़रूरतों को मद्‌देनज़र रखते हुए औरतों के अधिकारों पर केंद्रित संदर्भ केंद्र का गठन करना।

φ भारत में औरतों के दर्जे पर जानकारी प्रदान करना, मौजूदा सूचना स्रोतों का नारीवादी नज़रिए से विश्लेषण करते हुए महिला संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर सक्रिय शोध कार्य करना।

जागोरी की शोध प्रक्रिया सहभागी और नारीवादी है। हम प्रभावित पीड़ित लोगों के साथ मिलजुलकर उनके जीवन की स्थितियों का विश्लेषण करते हैं तथा समस्याओं के सार्थक समाधान के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं। इन शोधों से उभरी जानकारी सामाजिक बदलाव का आधार भी बनती हैं जैसे-

☞ सामुदायिक समस्याओं पर एकजुटता व संगठन की समझ बनाना।

☞ मुद्‌दे के प्रति नारीवादी नज़रिए के साथ सामाजिक सोच बढ़ाना।

☞ सकारात्मक सुझावों व सवालों के साथ उन कार्यक्षेत्रों एवं सरकार के साथ पैरवी करना।

पिछले दो वर्षों में अपने फ़ैलोशिप कार्यक्रम के तहत् अलग-अलग राज्यों में महिला आंदोलनों से जुड़े कार्यकर्ताओं और नारीवादी संगठनों के साथ जुड़कर जागोरी ने महिला हिंसा के विभिन्न पहलुओं पर शोध कार्यक्रम चलाए हैं। तारा अहलूवालिया द्वारा किया गया यह अध्ययन इन्हीं में से एक है। यह अध्ययन राजस्थान के भीलवाड़ा इलाक़े में प्रचलित डायन प्रथा पर आधारित है।

भूमिका

यदि हम मानव सभ्यता के सफ़र पर एक नज़र डालें तो साफ़ तौर पर देख सकते हैं कि शुरुआत से ही औरत और पुरुष के बीच एक भेद गढ़ा गया है। यह भेद कैसे बनाया गया, कैसे समय बीतने के साथ उसे और गहरा व मज़बूत करने के प्रयास हुए और कैसे एक वर्ग ने दूसरे वर्ग पर अपना मालिकाना स्थापित कर लिया इसके साक्ष्य वर्तमान समय में भी देखे जा सकते हैं। पुरुषों द्वारा औरतों पर स्थापित किए गए इस वर्चस्व ने पितृसत्तात्मक व्यवस्था को जन्म दिया।

जैसे जैसे समय बीतता गया औरतों ने इस ढांचे को चुनौती देते हुए अपनी उपस्थिति का भान कराया व समाज में अपनी स्थिति मज़बूत की। सावधानी से एक एक कदम रखते हुए जैसे जैसे औरत आगे बढ़ती गई, पितृसत्तात्मक व्यवस्था के पोषितों की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ता गया। उन्हें अपनी सत्ता के गढ़ की नींव हिलती नज़र आने लगी। फलस्वरूप इसके बचाव के उपाय सोचे जाने लगे। पुरुषों ने अपना कब्ज़ा बनाए रखने के लिए हिंसा को मुख्य आधार बनाया। इस हिंसा के कई रूप थे- शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक आदि।

इस व्यवस्था ने औरत को एक संपत्ति के रूप में देखा है। यदि औरत किसी पुरुष के साथ है तो निजी संपत्ति के रूप में और यदि वह एकल है तो सार्वजनिक संपत्ति के रूप में देखी जाती है। दूसरी वाली स्थिति में वह ज़्यादा असहाय व असुरक्षित होती है। उस पर हिंसा होने की संभावना बढ़ जाती है व हर कोई उसका शरीर और संपत्ति हड़पने की जुगत बिठाने लगता है। और यदि ऐसे में औरत असाक्षर, ग़रीब व दलित हो तो उससे आसान शिकार तो हो ही नहीं सकता। यही कारण है कि हमारे देश के उन राज्यों के गांव देहातों में औरतों की स्थिति काफ़ी खराब है जहां साक्षरता का अभाव है या जहां इसकी कमोबेश कम पहुंच है। औरतों पर अनेक प्रकार की हिंसा की जाती है। इसमें में बलात्कार, मारपीट, हत्या व डायन घोषित कर देना काफ़ी आम है। यूं तो हिंसा के ये रूप गांवों व शहरों में एक समान ही दिखाई देते हैं परंतु इनमें से औरतों को डायन करार देने की घटनाएं प्रायः गांवों या आदिवासी समाजों में ही सामने आती हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सन् 1987 से लेकर 2003 के बीच 2556 औरतों को डायन घोषित कर अमानवीय तरीकों से मौत के घाट उतार दिया गया। देश की कई अन्य सामाजिक कुप्रथाओं की तरह डायन भी देश के कई राज्यों की एक सामाजिक समस्या बनी हुई है। इस कुप्रथा के अंतर्गत किसी सामान्य महिला को जीते जी डायन करार देकर उसका जीना दूभर कर दिया जाता है। डायन का मतलब है 'भूतनी' अर्थात् ऐसी औरत जिसके बारे में यह कहा

जाता है कि उस पर किसी बुरी आत्मा या प्रेतात्मा का साया है। समाज उपेक्षा का पात्र बनाकर इनके प्रति सामाजिक घृणा फैलाता है। डायन घोषित की गई महिला को तमाम दिल दहलाने वाली यातनाओं का सामना करना पड़ता है।

कितने आश्चर्य की बात है कि जहां एक ओर हम इक्कीसवीं सदी में महिला सशक्तिकरण और प्रगतिशील समाज की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 'डायन प्रथा' बड़े पैमाने पर आज भी जारी है और तथाकथित सभ्य समाज हाथ पर हाथ धरे बैठा इस नृशंसता को देख रहा है।

राजस्थान की पृष्ठभूमि में डायन-हिंसा

महिला हिंसा एवं अत्याचारों के मामले में पिछले 3-4 वर्षों से अव्वल दर्जे पर रहे राजस्थान के भीलवाड़ा ज़िले में एकल, दलित, ग़रीब महिलाओं को डायन घोषित करके उन पर अमानवीय अत्याचार करना आमबात हो गई है। निडर, निर्भीक, डरना छोड़कर कहना शुरू करने वाली तथा अपनी समस्याओं से अपने ही बूते निपटने वाली जुझारू महिला को भी प्रायः डायन घोषित कर दिया जाता है। यदि हम पिछले पांच वर्षों के आंकड़े लें तो अकेले भीलवाड़ा ज़िले में ही तकरीबन एक दर्जन से अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं। महिलाओं को डायन करार देकर उन पर अनेक प्रकार की हिंसाएं की गईं, जिसमें से दो महिलाओं की तो निर्ममता से हत्या तक कर दी गई।

पिछले वर्षों में बढ़ती हुई महिला हिंसा के पीछे राजस्थान में व्याप्त सामंतशाही व्यवस्था का होना है। वैज्ञानिक एवं तर्कसंगत सोच की कमी की वजह से आज भी लोग अंधविश्वास पर आधारित परंपराओं से जुड़े हुए हैं। कथितरूप से प्रेत बाधा और दुष्ट आत्मा के साये से ग्रस्त महिला को डायन बताया जाता है। कहा जाता है कि ऐसी औरतें औरों का बुरा ही करती हैं। यदि उनकी कुदृष्टि(बुरी नज़र) पड़ जाये तो दुधारू पशु दूध देना बंद कर देता है। स्वस्थ आदमी भी कुछ दिनों में बीमार होकर मर जाता है। बच्चे को दूध पिलाते वक्त यदि कोई महिला आपके पास आती है और यकायक ही बच्चे को उल्टी दस्त हो जायें तो उस महिला को डायन घोषित करते वक़्त नहीं लगता। यह बात अलग है कि बच्चा किसी भी कारण से संक्रमण का शिकार ही क्यों न हुआ हो। गौरतलब है कि आज तक एक भी डायन गिरफ़्तार हो कर जेल नहीं गई है मगर यह अंधविश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी बदस्तूर जारी है।

कोई भी औरत न जन्म से, न कर्म से, न सोच से और न ही आचार-विचार से, कभी 'डायन या डाकन' हुई है और न ही हो सकती है, बल्कि इस पुरुषप्रधान समाज में अक्सर किसी, अकेली,

विधवा, वृद्धा औरत को निहित स्वार्थी समाजकंटक तत्व द्वारा डायन करार दे दिया जाता है। यह हमारे पितृसत्तात्मक सोच की निकृष्टतम् मिसाल है।

अक्सर डायन बता दी गई महिला के विरुद्ध समाज के लोगों के अलावा परिवारजन व ससुराल वाले भी शामिल हो जाते हैं। अनेक मामलों में देखा गया है कि औरतों को डायन बनाने का एक सुनियोजित षड़यंत्र समाज में अघोषित रूप से चलता रहता है। इस साज़िश में प्रमुख रूप से पंडे, पुरोहित, मौलवी, अघोरी, त्रिकालदर्शी-ज्योतिषी, ओझा तथा भोप[1] और सामाजिक रूप से प्रभावशाली जातियों के सशक्त समूह सक्रिय भागीदारी निभाते हैं।

किसी एकल, दलित, बुज़ुर्ग औरत की खेती की ज़मीन या मकान हड़पने, उसे रास्ते से हटा देने अथवा बदला लेने के लिए समाज डायन की आड़ में औरतों को प्रताड़ित करता है। पंच-पंचाई और ओझागिरी करके उस पर मानसिक एवं शारीरिक अत्याचार किये जाते हैं, सम्पत्ति से बेदखल कर दिया जाता है, असहाय बनाकर उसे मरने के लिये छोड़ दिया जाता है। परेशान होकर ऐसी औरतें या तो जलालत के मारे गांव छोड़कर भाग जाती हैं अथवा विवशतावश आत्महत्या कर लेती हैं।

आश्चर्य की बात है कि डायन शहरों में नहीं होती, अमूमन वह देहातों में ही बनाई जाती है। जहां की औरतें कुपोषण, अशिक्षा, रूढ़ियों और अस्वस्थता की शिकार होती हैं, वे घूंघट में रह कर एक यंत्र की भांति रात-दिन काम में लगी रहती है और उनके परिवारों के मर्द लोग या तो चौराहों पर बैठकर निरर्थक पंचई करते अथवा ताश खेलते देखे जाते हैं। गांवों में आज भी जातिगत भेदभाव और छुआछूत आमबात है। अक्सर ऐसी जातियों की औरतें ही इस कलंक का शिकार होती हैं जिनका पुश्तैनी काम सवर्ण जातियों के शादी, समारोह, हवन, तीज त्यौहार पर यजमानी करना रहा है। यजमानी जातियां कुम्हार, ढोली, बलाई, धोबी, नाई, लुहार आदि की औरतों को ही डायन घोषित किया जाता है।

गौरतलब है कि सम्पन्न परिवार और उच्च्व जाति की शादीशुदा महिलाओं को कभी भी डायन नहीं घोषित नहीं किया जाता। पुरुषों व अविवाहित महिलाओं को भी कभी डायन नहीं बनाया जाता बल्कि डायन उन महिलाओं को ही करार दिया जाता है जो निम्न किसी श्रेणी में से हों

- वृद्धा, एकल औरत जिसके पास ज़मीन या कोई अचल सम्पत्ति हो।
- निस्संतान अथवा जिसके बेटा न हो और बेटियां कहीं दूर ससुराल में रहती हों।
- ऐसी औरतें जिनका पति सीधा-सादा, बीमार या बेकार हो।

- ऐसी ग़रीब औरतें, जिनके बच्चे छोटे हों और जिसके आगे पीछे कोई बोलने वाला न हो।
- दलित और आदिवासी समाज की महिलाएं, जो बेरोज़गारी और भूख से पीड़ित हों।

डायन बना दिये जाने की परिस्थितियां

किसी भी महिला को डायन घोषित करते समय साधारणतः गांव, जाति, पुरुषों के समूह कई तरह के अविश्वसनीय और हास्यास्प्रद आरोप उस पर मढ़ते हैं। अब तक के अनुभव के आधार पर निम्न परिस्थितियों में उपस्थित औरतों को डायन बताया जाता रहा है-

1. किसी गर्भवती महिला का गर्भपात हो जाने पर।
2. दूध देने वाली गाय, भैंस या भेड़-बकरी के दूध देने की मात्रा में कमी हो जाने पर।
3. बच्चे द्वारा स्तनपान नहीं करने पर/उसे उल्टी दस्त आदि हो जाने पर।
4. मकान में दरारें आ जाने और मकान का कोई हिस्सा ढह जाने पर।
5. नये कपड़ों में कट लग जाने, फट जाने तथा पहनने के साथ ही जल जाने पर।
6. परिवार में किसी के अचानक ही बीमार हो जाने पर/मर जाने पर।
7. किसी जवान लड़के/लड़की की असमय मौत हो जाने पर।

उपरोक्त स्थितियां चाहे किसी भी कारण से क्यों न हो मगर यह मान लिया जाता है कि फलां औरत की नज़र लगने से ऐसा हुआ है। कोई बच्चा पानी या ख़ून की कमी से मर जाये तो कहा जाता है कि उसे डायन खा गई है। किसी भी कारण या लापरवाही के चलते कहीं आग लग जाये, कच्चा-जर्जर मकान गिर जाये, दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाये तब भी दोष उक्त डायन के सिर पर ही मढ़ा जाता है। कई बार अकाल पड़ने, बाढ़ आने तथा ओले पड़ने, अतिवृष्टि हो जाने तथा आंधी-तूफ़ान जैसी प्राकृतिक आपदा के लिये भी किसी न किसी डायन का लेबल लगाई गई महिला को ही ज़िम्मेदार ठहरा दिया जाता है।

डायन, महिला और हिंसा के अन्तर्सम्बन्ध

किसी भी औरत को जब डायन करार किया जाता है तो सबसे ज़्यादा उसी महिला को मानसिक वेदना से गुजरना पड़ता है। जिस परिवार में कोई औरत डायन घोषित कर दी जाती है तो वह परिवार एक तरह के शारीरिक-मानसिक हिंसा एवं बहिष्कार का शिकार हो जाता है। राजस्थान में डायन के कलंक को लेकर एक प्रचलित लोकोक्ति भी है 'बिच्छू के काटे का दंश तो समय पर ख़त्म

हो जाता है परन्तु डायन के कलंक से सात पीढ़ियों तक मुक्ति नहीं मिलती।' इसी सोच के चलते डायन घोषित खानदान में कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की शादी नहीं करता और न ही उस परिवार से कभी बेटियां ली जाती हैं। पूरा परिवार इस त्रासदी को झेलता है तथा कई पीढियों तक उस परिवार को 'डाकेड़ा या बड़ी तहड' जैसी गाली को सहन करना पड़ता है। वह परिवार समाज व गांव से बहिष्कृत हो जाता है।

डायन क़रार दी गई महिला के साथ हर प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक-हिंसा की जाती है जैसे नंगा करके गांव में घुमाना, मुंह पर कालिख पोत देना, बाल काटकर मुंह काला करके व जूतों की माला पहना के गधे पर घुमाना। उसे हर प्रकार की अमानवीय यातनाएं झेलनी पड़ती हैं जैसे जबरन मल-मूत्र खिलाया जाना, यौनांगों में लकड़ी या मिर्ची डाल देना, छत से नीचे फेंक दिया जाना, गरम लोहे की सलाखों से दागा जाना, गांव से निकाल दिया जाना व ज़िंदा जला दिया जाना या मार कर ज़मीन में गाड़ दिया जाना।

मानव अधिकारों का हनन

किसी भी महिला को डायन क़रार दे कर उस पर हिंसा करना पूरी तरह से लिंग आधारित भेद करके उसके मानवीय अधिकारों का हनन करना है। डायन हिंसा के जरिये किसी भी औरत के आश्रय का अधिकार, शान्तिपूर्ण तरीके से जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार, आवास एवं सम्पत्ति का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार, समाज में बुनियादी हक़ों के साथ उसके जीने के मौलिक अधिकार तक छीन लिया जाता है।

डायन घोषित की गई महिला के साथ समाज द्वारा उसके सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत सम्बन्ध भी समाप्त कर दिये जाते हैं। ऐसी महिला के साथ सार्वजनिक रूप से या अकेले में उठना बैठना, काम कराना, शादी-विवाह, पर्व-त्योहार, उत्सवों में आना-जाना तथा उसके बेटे-बेटियों का विवाह करना और गांव से सामान का लेना-देना तक वर्जित कर दिया जाता है। वह समाज व परिवार से अलग-थलग पड़ जाती है। उन्हें जीवन निर्वाह के लिये मज़दूरी भी नहीं मिलती चूंकि उसके पास बैठकर कोई बात भी नहीं करता इसलिये वह एक मारक एकान्त और गहन अवसाद की शिकार हो जाती है।

समाज और गांव के प्रभुत्व वर्ग का कोई भी व्यक्ति भय के कारण डायन बना दी गई उत्पीड़ित महिला का पक्ष नहीं लेता। सभी उसके दुश्मन हो जाते हैं। यहां तक कि उसका परिवार या रिश्तेदार भी उसके पक्ष में नहीं बोल सकते और अन्ततः सभी से उसके सम्बन्ध टूट जाते हैं। ऐसे में डायन घोषित परिवार के लोगों को अक्सर अपना घर-बार, ज़मीन-जायदाद कौड़ी के दामों पर बेचकर गांव छोड़कर जाना पड़ता है।

महिला विरोधी सामाजिक मान्यताओं के चलते महिलाओं को डायन घोषित किया जाता है। महिलायें अक्सर विरोध करने में संकोच करती हैं, यह डर भी उन्हें डायन बनाने में सहायक होता है। कोई भी डायन घोषित कर दी गई औरत सच्चाई को उजागर करने से बचती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसका सामाजिक बहिष्कार हो। इससे भी डायन बनाने वालों के हौसले बढ़ते हैं।

धर्म के ठेकेदार भोप धर्म की आड़ में पूरी तरह अपनी दुकानदारी चलाते हैं। उन्हें इससे कई तरह के फ़ायदे जो होते हैं। मुर्गा, शराब, नये वस्त्र, नारियल, अगरबत्ती तथा खाने के लिये सूखे मेवे, फल-मिठाई जैसी चीजें तो मिलती ही हैं साथ ही वे समाज के लिए पूज्य भी बने रहते हैं। कई मामलों में ओझा, भोप और झाड़-फूंक करने वाले पुरुष महिलाओं का यौन शोषण भी करते है। इस दुकानदारी को चलाने के पीछे एक पूरा तंत्र काम करता है। डायन निकालने वाले शक्तिपीठ व अन्य धर्म स्थल जिनमें मज़ारें (दरगाहें) तथा कई देवी-देवताओं के मन्दिर हैं, वे भी डायन के विचार और व्यवहार को सदैव जीवित बनाये रखते हैं जिससे उनकी दुकानदारी चलती रहे।

जाति पंचायतों की भूमिका

अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्त्वपूर्ण फ़ैसले में कहा कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जातिपंचों द्वारा लिया गया कोई भी फ़ैसला क़ानूनी तौर पर मान्य नहीं होगा। लेकिन आज भी कई समाजों में जातिपंचो का दबदबा बना हुआ है। राजस्थान के परिपेक्ष्य में भी सामाजिक स्तर पर आज भी कई अहम फ़ैसले जातिपंचो द्वारा लिये जाते हैं।

अक्सर देखा गया है कि जातिपंचों के द्वारा लिये गये तमाम फ़ैसले महिला विरोधी होते हैं ये थोपे हुये फ़ैसले औरतों को स्वीकारने पड़ते हैं। जातिपंचों द्वारा औरत की ज़मीन/मकान पर हक़, बच्चों को किसे देना है आदि मामलों में 'महिला विरोधी' फ़ैसले दिये जाते हैं। पर डायन के हर मामले में कमोबेश यही रहा है कि उसका पूरा समाज/जातिपंचायत उस पीड़ित महिला के पक्ष में रहा। जब भी किसी अन्य जाति के व्यक्ति ने किसी ख़ास समुदाय की महिला को डायन बताया तो पूरा समाज उसे सहयोग देने

पहुंच गया। उदाहरण के लिए चांदी कुम्हार के मामले को ही लें तो पूरी कुम्हार जाति उस वक़्त गुर्जरों के ख़िलाफ लामबन्द (एकजुट) हो गयी परन्तु जब खेमी बलाई को उसी के परिवार की बहू ने 'डायन' घोषित किया तो इस मामले को एक परिवार के मामले की तरह देखा गया जाति के स्तर पर नहीं। हम इसे यूं समझ सकते हैं कि जब कोई एक जाति या वर्ग का व्यक्ति किसी अन्य जाति या वर्ग की महिला को डायन घोषित करता है तो उसके साथ उसका पूरा समाज/जातिपंचायत मदद करने के लिये सामने आ जाती है।

डायन के इन तमाम मामलों में हमेशा पीड़िता दलित समाज से थी और अत्याचारी सवर्ण थे अतः ऐसे में पीड़िता के साथ पूरा समाज और जाति पंचायत जुड़ गये क्योंकि उस समय पीड़िता केवल एक व्यक्ति न होकर पूरी जाति का प्रतिनिधित्व कर रही थी। अतः यह जातिगत समीकरण के सन्दर्भ में गहरी राजनीति है। फिर किसी एक भी मामले में पुलिस का कोई भी सहयोग नहीं मिला।

मोहिनी बलाई गांव जालरिया आसीन्द के मामले की प्रगति जानने पर पता चला कि पहली बार ऐसे किसी मामले में पुलिस ने एस.सी.एस.टी. कोर्ट में चालान पेश किया है। यह एक सन्तोष का विषय है परन्तु जो धाराएं पुलिस इन मामलों में लगाती है, वह है 323 की धारा जो केवल मारपीट की होती है। इसमें सज़ा का प्रावधान नहीं है और मुजरिम जमानत पर रिहा हो जाता है। अतः भविष्य में हमें डायन के मामले में सरकार से यह कठोर सिफारिश करनी होगी कि ऐसे मामलों में मारपीट की धाराओं के बजाय हत्या का प्रयास जैसी धाराएं लगनी चाहिये।

पुलिस की भूमिका

राजस्थान जैसे राज्य में डायन हिंसा से पीड़ित क्षेत्र में डायन विरोधी क़ानून नहीं होने के कारण पुलिस प्रायः ऐसे मामलों को टालने की कोशिश करती है तथा ऐसी घटनाओं को मिथ्या बताती है। कई मामलों में दबाव बनाने पर वे इसे महज भादस की 323 (मारपीट) जैसी हल्की धारायें लगा कर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है। डायन सम्बन्धी मामलों को हत्या करने एवं आत्महत्या करने हेतु उकसाने जैसा अपराध माना जाना चाहिए। अतः भादस की धारा 307 का प्रयोग किया जाना चाहिए। सीधे तौर पर यह किसी भी महिला की हत्या की कोशिश करने का मामला होता है। न तो भारतीय दण्ड संहिता में और न ही क़ानून में ऐसा कोई दण्डात्मक प्रावधान है जिसके बूते किसी औरत को इस अमानवीय त्रासदी से बचाया जा सके।

मीडिया की भूमिका

तकलीफ़ देह बात तो यह है कि अब तक इस घिनौनी और नृशंस प्रथा के ख़िलाफ़ सार्वजनिक रूप से जो माहौल बनना चाहिए था वह नहीं बन पाया। समाज में माहौल बनाने के काम में मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। महिला उत्पीड़न जैसे मामलों में मीडिया को और अधिक संवेदनशीलता और सघनता के साथ आक्रामक प्रचार का रुख अपनाना चाहिए।

निष्कर्ष

ज़िम्मेवार कौन-सरकार, समाज, महिलायें, या पुरुष? पहल कौन-करेगा इसकी?
आज़ादी की आधी शताब्दी बीत जाने के बाद भी हम ऐसी महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर पाये हैं जो एक सुनियोजित षड्यंत्र के चलते इस बर्बर एवं नृशंस कृत्य का शिकार होती हैं। परिवार, गांव और समाज के मुखिया इस कलंक को मिटाने के लिये सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं। सामाजिक संस्थाओं, संगठनों, नागरिक समूहों को भी इसके निराकरण हेतु आगे आना होगा। शिक्षित वर्ग को समुदाय के बीच वैज्ञानिक सोच फैलानी होगी तथा युवाओं को डायन के प्रथा का अंत कराने के लिये कमर कसनी होगी। इसमें पुलिस प्रशासन, राजनितिज्ञों, मानवाधिकार संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, मीडिया, बुद्धिजीवी वर्ग, जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों को भी जुड़ना होगा तभी पूरी संवेदना के साथ संगठित होकर एक जन-अभियान के तौर पर इस बुराई को ख़त्म किया जा सकेगा।

कैसे दूर हो डायन का कलंक

भीलवाड़ा ज़िले में डायन प्रथा के ख़िलाफ़ काम के दौरान हमने कई कार्यशालाएं और गांव स्तर की गोष्ठियां आयोजित की हैं, जिनमें इस प्रथा के निर्मूलन की रणनीतियों पर भी बहुत चर्चाएं हुई हैं। इनमें से निकले कुछ सुझाव इस प्रकार हैं।

- अंध श्रृद्धा(अन्धविश्वास) निमूर्लन कार्यक्रम चलाए जाएं व वैज्ञानिक तथ्यों को ग्राम समुदाय के बीच बताया जाए।
- सुदूर देहातों में भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जिससे लोग समय पर इलाज करवा सकें।
- डायन निकालने के लिये समूह में आ कर इकठ्ठा होने वाले शक्ति स्थलों व मज़ारों पर पुलिस छापे मारकर इस गोरखधंधे का भंडा फोड़ करे। डायन घोषित करने वाले धार्मिक ठिकानों पर प्रहार करे।

- भोपों, तांत्रिकों, ओझाओं का पंजीकरण किया जाए व उनकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाये। भोपों को सजा देने का प्रावधान किया जाये क्योंकि गांवों में व्यक्ति सबसे पहले भोपों को ही अपनी समस्या बताते हैं और ऐसे में यह भोपों का ही निर्णय होता कि वह डायन के कंलक की गाज किसके ऊपर गिराए?
- गांवों में डायन मुद्दे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान चलाया जाये व इस मुद्दे पर जाजमें, बैठकें, जनसुनवाई तथा चर्चाएं आयोजित की जाएं।
- डायन कुप्रथा के विरुद्ध कड़ा क़ानून बनाकर उसे सख़्ती से लागू किया जाये। साथ ही डायन पीड़ित महिला को ज़िलाधीष कोष से राहत प्रदान कर आर्थिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही ज़िले में ऐसा कोई आश्रय स्थल हो जहां डायन के कलंक से सताई गई महिला/परिवार कुछ दिन रह सके। अधिकांशतः यकायक ही किसी महिला को चन्द क्षणों में गांव छोड़ने का फ़रमान सुनाया जाता है। ऐसे में उसे अपनी जान बचाकर भागना ही पड़ता है।
- प्रशासन पर दबाव बनाने के लिये ज़िले में एक सेल बनाया जाए जिसमें समाज सेवी सस्थायें एवं महिला अधिकार से जुड़ी इकाइयां एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलन्द कर मीडिया को साथ लेकर ऐसे मुद्दों को प्रकाश में लाये।

राजस्थान में शीघ्र ही डायन विरोधी क़ानून बनाने की सख़्त ज़रूरत है और साथ ही उसे पूरी कड़ाई से लागू भी कराया जाना चाहिए। इस दिशा में मीडिया एवं पुलिसकर्मियों को डायन प्रथा के प्रति संवेदनशील बनाने के लिये ज़िला स्तर पर डायन विरोधी कार्यशालाओं का आयोजन किये जाने की भी बहुत आवश्यकता है। साथ ही ऐसी घटना घटित होने पर पुलिस प्रशासन अभियुक्तों के ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे ताकि अन्य लोगों को भी सबक मिल सके। साथ ही धार्मिक, आर्थिक और यौन शोषण के इस घृणित कारोबार में लिप्त सभी प्रकार के लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये ताकि किसी भी इज्ज़तदार औरत को ज़िन्दगी में डायन होने का अभिशाप न झेलना पड़े।

अतः हमारी मांग है कि भविष्य में किसी भी महिला को डायन शब्द से किसी भी स्थिति में नहीं पुकारा जाये। जब तब शब्द का उच्चारण होता रहेगा तब तक महिला को इस घिनौनी त्रासदी को झेलना पड़ेगा।

भीलवाड़ा एक नजर में :- (2001 की जनगणना के अनुसार)

जस्थान की कुल आबादी 5,64,122 है तथा साक्षरता दर 61.03 प्रतिशत है। जिला भीलवाड़ा 20.1 से 25.58 उतरी एवं 74.1 से 75.28 र्व मध्य दक्षिण पूर्व भाग में स्थित हैं । इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 10,455 वर्ग फीट हैं। प्रशासनिक दष्टि से इसमें आठ उपखण्ड एवं 11 हसील और 381 ग्राम पंचायत है। भीलवाड़ा की लिंगानुपात दर प्रति एक हजार पर 962 है।

भीलवाड़ा की जनसंख्या	भीलवाड़ा की जनसंख्या		भीलवाड़ा की जनसंख्या		साक्षरता दर (50.07)		जनसंख्या	
कुल आबादी	ग्रामीण	शहरी	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	SC	ST
20,9,516	15,94,790	4,14,726	9,86,430	10,23,086	33.47	68.12	3,16,536	1,80,456

त डायन के मामलों का निचोड़ (निष्कर्ष) इस प्रकार है

ामले 15 जातिगत स्तर पर -

SC	OBC	Other	MG (Muslim)
6	6	2	1

ात: उक्त टेबल का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट दिखाई देता है कि SC/OBC जैसी दलित महिलाओं को ही प्रायः डायन करार दिया जाता क्योंकि वे ही इस स्वतंत्र भारत की दमित व कुचली हुई विकास की धारा से अलग-थलग वर्ग हैं अतः उच्च वर्ग/वर्ण के लिये इन पर त्याचार/जुल्म करना और अधिक आसान हो जाता है।

परिजनों द्वारा निजी स्वार्थ के चलते डायन क़रार दिया	बाहरी ताकतवर लोग जिसमें पड़ोसी या समाज के प्रभावी लोग शामिल थे
5	10

ज़मीन हड़पना	यौन शोषण	दहेज कम लाना	ग़रीबी	पुरानी रंजिश
7	1	1 1	4	

चान्दी कुम्हार के मामले में आयोजित जातिपंचों की बैठक में उजागर हुए मामले

माण्डल पंचायत समिति के भादू गांव में जब हम कुम्हार जाति के तीन सौ लोगों के साथ डायन मुद्दे पर बैठक कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत ही बेबसी के साथ बताया कि उनकी जाति की महिलाओं को डायन के कलंक से दागकर मारना बहुत आसान होता है क्योंकि वे राजपूतों के ठिकानों में विवाह-उत्सव आदि में मटकिया (बर्तन) बनाकर पानी भरने का कार्य करती हैं। ऐसे में यदि किसी एकल कुम्हारन की ज़मीन हो या फिर उससे कोई और रजिंश निकालनी हो तो इन सवर्ण जाति के लोगों के लिये सबसे आसान होता है- उस महिला को डाकन क़रार देना।

इसी चर्चा के दौरान वहां उपस्थित लोगों में से आठ मामले हमें ऐसे बताए, जिसमें उन्हीं के परिजनों ने महिलाओं को डाकन कहकर अनेक तरह से यातनाएं दीं। इनमें से तीन की निर्मम हत्या हुई है और चार महिलाएं आज तक लापता हैं। उनमें से एक ने बताया कि उसके परिवार की एक औरत को एक ठाकुर ने आज से पंद्रह वर्ष पहले अपने घर की छत से धक्का देकर नीचे गिरा दिया था। इसकी वजह थी कि उस ठाकुर के परिवार की बहू का पेट दर्द शुरू हुआ तो उनके घर की वह औरत वहां उपस्थित थी। बहू दर्द से तड़प रही थी और उसने सारा इल्ज़ाम उस कुम्हारिन पर डाल दिया। ठाकुर की बहू ने कहा कि कुम्हारिन डायन है और उसकी कुदृष्टि से ही उसके पेट में दर्द हुआ। इस बात पर चार लोग गुस्से में आकर उसे घसीटते हुए छत पर ले गये और धक्का देकर नीचे गिरा दिया। गिरते ही कुम्हारिन की मृत्यु हो गई। उन्होंने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि कुम्हारिन छत पर पानी भर रही थी, उसे चक्कर आया और नीचे गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बारे में बताते हुए वह व्यक्ति फफक-फफक कर रोने लगा।

इसी तरह एक और व्यक्ति ने, (जो बनेड़ा पंचायत समिति के गांव का रहने वाला था) बताया कि कुछ वर्ष पहले गुर्जरों के यहां शादी थी। इसमें उसकी वृद्धा मां भी शामिल हुईं, जो पति की मृत्यु के बाद अकेले रहती थी। शादी के दौरान ही किसी वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई। बस फिर क्या था, सभी हमसलाह होकर उस वृद्धा पर टूट पड़े। बहुत निर्ममता से उसकी पिटाई की। इसके बाद उसे निर्वस्त्र कर गधे पर बिठाकर पूरे गांव में उसकी बिन्दोली[1] निकाली। इससे वह इतनी लज्जित हुई कि अगली सुबह ही गांव छोड़कर चली गई। उसकी आज तक कोई ख़बर नहीं कि वह कहां गई- ज़िन्दा है या मर गई? इस घटना के बाद उसने अपनी पड़ोसन से कहा, ''अब मेरा इस गांव में रहना ही बेकार है। अब जीने को बचा ही क्या है। एक इज्ज़त थी वह भी चली गई। पैंतालीस वर्ष पूर्व शादी करके आई थी, सब तो ख़त्म हो गया, मेरा।''

बैठक में उपस्थित *आसीन्द पंचायत समिति* के एक व्यक्ति ने बताया कि उनके परिवार की एक महिला को रावले के एक ठाकुर ने डायन होने के शक में बन्दूक से गोली मार दी। उसका कहना था कि वह डायन है व वह गांव की किसी और महिला को खा जायेगी।

हालांकि यह बैठक डायन मुद्‌दे पर चान्दी बाई कुम्हार के पुर्नवास को लेकर आयोजित की गई थी, परन्तु इस बैठक में कई चौंकाने वाले तथ्य उभरकर आये जो वास्तव में बहुत गंभीर थे। हमें लगा कि इस मुद्‌दे पर जनसंगठनों को और अधिक सतही व सतत् रूप से कार्य करने की आवश्यकता है।

केस स्टडी संख्या-1

ज़मीन हड़पने के लिए डायन घोषित कर दिया गया चालीस वर्षीया एकल औरत- लाडू लुहार

चालीस वर्षीया लाडू लुहार, *सुवाणा पंचायत समिति* के रूपाहेली गांव की रहने वाली है। बहुत वर्षों पहले ही उसके पति की मृत्यु हो गई थी। घर में एक छोटी बच्ची ही लाडू के जीने का सहारा थी। पति द्वारा छोड़ी गई तीन बीघा जमीन उसकी जान का जंजाल बन गई। यह ज़मीन लाडू के पति ने 15 वर्ष पूर्व भगवानलाल गोस्वामी के पास गिरवी रखी थी। लाडू मेहनत मज़दूरी करके किसी तरह उस गिरवी रखी ज़मीन को छुड़वाना चाहती थी।

गोस्वामी जाति के लोगों की भीलवाड़ा ज़िले में अच्छी खासी दादागिरी है। यह आमतौर पर पहलवानी का काम करते हैं। किसी की फंसी ज़मीन को हड़प लेना ही इनका पुश्तैनी काम रहा है। ऐसे में यदि किसी अकेली, निर्धन औरत की ज़मीन किसी गोस्वामी के पास गिरवी रखी हो तो वह इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ देगा? लाडू के पीछे गांव में कोई बोलने वाला भी तो नहीं था। लुहारों के मात्र दो ही घर इस गांव में थे। लाडू पिछले एक वर्ष से उस ज़मीन को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी।

रूपाहेली गांव में गोस्वामी परिवार के लगभग तीन-चार सौ घर हैं। उन्होंने सुनियोजित तरीके से रात के नौ बजे लाडू पर जानलेवा हमला बोल दिया। पंद्रह-बीस युवक सीधे लाडू के घर में घुसे। उसे बाल पकड़कर खींचकर बाहर लाये और बेरहमी से उसकी पिटाई कर कहने लगे- ''लुहारण मान जा तुझे यह ज़मीन किसलिये चाहिये। तू नीच जात की होकर हम गोस्वामियों से मुकाबला करेगी। तू डाकन है। मेरी घरवाली के पेट में जबरदस्त दर्द है, क्या तू उसे खा जायेगी?'' लाडू इस पूरे माजरे को समझती इससे पहले ही उन्होंने लाडू पर लाठियां बरसाईं और लाडू को निर्वस्त्र कर चौपाल तक घसीटकर यह कहते हुये लाये- ''अब तेरी इस गांव में इज्ज़त ही क्या बची, तू गांव छोड़कर तुरन्त भाग जा।'' दो-तीन सौ लोगों के सामने नग्न खड़ी अकेली, लाडू क्या करती? उसका भतीजा गोपाल दौड़कर वहां पहुंचा और किसी से ओढ़नी(साड़ी) मांगकर अपनी भुवा को ओढ़ाया। लाडू को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि वह बेहोश होकर वहीं ढेर हो गई। गांव के सारे लोग एक तमाशबीन की तरह मूकदर्शक बने देखते रहे। लाडू की मदद करने कोई नहीं आया क्योंकि सारा गांव गोस्वामी

बहुल्य था। कुछ औरतें दबी ज़ुबान में ज़रूर कह रही थीं कि *इस तरह औरत की इज्ज़त तो मत बिगाड़ो*। बेहोश लाडू को गोपाल ने भीलवाड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया।

इस पूरी घटना की सूचना जब महिला चेतना समिति को मिली तो उन्होंने अस्पताल जाकर लाडू की खबर ली। पता चला कि कुछ युवक, जो इस पूरी घटना में लिप्त थे। वहां उपस्थित डाक्टर व नर्सों पर इस बात का दबाव बना रहे थे कि आप लाडू के मामले को ज्यादा गंभीर न बनाएं अन्यथा हमें निपटना आता है। लाडू से बात करने पर यह साफ़ ज़ाहिर हुआ कि इस सारे मामले से उसे गहरा मानसिक धक्का लगा है। वह फूट-फूट कर रोने लगी और स्वयं पर हुये ज़ुल्म के बारे में खुलकर बताया। उसके मन में इस बात का डर था कि गोस्वामी परिवार के लोग उसे गांव में नहीं रहने देंगे। हमने लाडू को ढांढस बंधाया व इस बात का भरोसा दिलाया कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। लाडू का कहना था कि अब मैं उस गांव में नहीं रहना चाहती, जहां मेरी इज्ज़त तार-तार कर दी गई। काफ़ी समझाने के बाद लाडू को इस बात के लिये तैयार किया कि वह इस अन्याय के खिलाफ़ आवाज़ उठाए। उसे गोस्वामियों की साज़िश समझाई कि उन्होंने तुम्हारे साथ यह सब इसलिए किया ताकि वे तुम्हारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर सकें।

रूपाहेली में बैठक

पांच-छः दिन बाद जब लाडू के स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ तो इस मामले पर एक बड़ी बैठक रखी गई। इसमें जयपुर, चितौड़, अजमेर आदि आसपास के ज़िलों से साथियों को बुलाया गया। इस घटना के परिप्रेक्ष्य में यह ज़रूरी लगा कि हम अपनी संख्यात्मक ताक़त दिखाएं। इसलिए स्थानीय स्तर से भी लगभग 100 ग्रामीण बहनों को इस बैठक में जोड़ा गया। पुलिस अधीक्षक से कहकर कुछ सिपाही भी वहां तैनात कराए गए, चूंकि मामला काफ़ी गम्भीर था। यह सीधे गोस्वामियों के स्वाभिमान पर चोट थी कि जिस दलित महिला को बेइज्ज़त कर गांव से निष्कासित किया, उसके पुर्नवास के लिये इतनी संख्या में औरतें कैसे इकट्ठी हो गईं।

हमने चर्चा की शुरुआत सीधे लाडू के मुद्दे से ही की। गोस्वामियों के अलावा गांव की अन्य जातियों के लोगों को भी इस चर्चा में जोड़ा गया। हमारा सवाल था कि यदि लाडू अपनी गिरवी रखी ज़मीन छुड़ाना चाहती है, तो इसमें किसी को दिक्कत क्यों हो रही है? क्या किसी अकेली दलित महिला पर इस तरह अमानवीय अत्याचार करना उचित है? आज ऐसा हादसा लाडू के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। अतः गांव वालों को न्याय की बात करनी चाहिए। हमारा प्रस्ताव था कि भगवानलाल गोस्वामी लाडू से अपने अमानवीय कृत्य हेतु क्षमा मांगे। पर गोस्वामी समाज का कोई भी व्यक्ति माफ़ी मांगने को तैयार नहीं था।

गांव के अन्य लोगों का दबी जबान में आग्रह था-‘‘आप लाडू के समर्थन में इतनी बड़ी बैठक कर पाये यह अपने आप में एक महत्त्वपूर्ण बात है। हम अन्य समाज के लोग आपके साथ हैं। यदि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना घटित होती है तो हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेगें।’’ इस बैठक से निश्चित ही लाडू को ताक़त मिली। हम लगातार लाडू के केस का फॉलोअप करते रहे व वह पहले की तरह गांव में रहने लगी।

केस संख्या-2

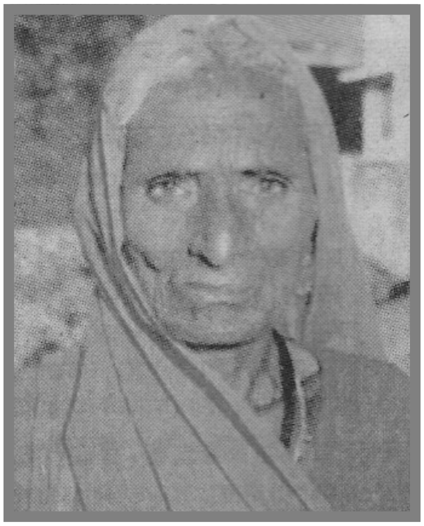

ज़मीन की ख़ातिर डायन बनाया
चांदी बाई, निवासी - माण्डल, भीलवाड़ा

आधी रात को साठ वर्षीय चांदी अपनी बहू के साथ सो रही थी। उसका बेटा जमना, महाराष्ट्र में ट्रैक्टर पर खाने कमाने को गया था। ऐसे में ट्रैक्टर में सवार होकर लाठियों से लैस गुर्जर परिवार के लोग नारायण पिता कर्मा गुर्जर, भागु पिता देवा गुर्जर, नानू पिता देवा गुर्जर, गजरी पत्नि उदा गुर्जर, पानी पुत्री देवा गुर्जर, मीठू पिता भागू गुर्जर, नारायण पिता देवा गुर्जर, कालू पिता देवा गुर्जर, देवी पिता गोपी गुर्जर उस पर प्राणघातक हमला करने आ पहुंचे।

ये लोग ट्रैक्टर व मोटर साइकिलों पर सवार होकर आये व लाठियों से पीट कर चांदी को लहूलुहान कर दिया। इस दल में भागू गुर्जर की पुत्रवधू गजरी डायन होने का नाटक करते हुए बोल रही थी-"चांदी कुम्हारण मैं तुझे खांऊगी।" जैसे-जैसे गजरी चीख रही थी, वैसे-वैसे हमलावरों की मारपीट चांदी पर बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि इसे ट्रैक्टर के पीछे खींचकर घसीटो वर्ना ये गांव की सारी औरतों को एक-एक करके खा जायेगी। गांव में चांदी का ही एक घर कुम्हार जाति का था। बहुत मारपीट के बाद भी कोई भी पड़ोसी चांदी को बचाने नहीं आया क्योंकि पूरा गांव ही गुर्जर बहुल्य था।

यहां उल्लेखनीय है कि चांदी ने कुछ ही दिन पूर्व भागू गुर्जर के खेत के पास तीन बीघा ज़मीन खरीदी थी। यह बात भागू गुर्जर को नागवार गुजरी। गुर्जर चाहते थे कि किसी तरह वह ज़मीन उन्हें मिल जाये। अतः गुर्जरों ने चांदी की ज़मीन हड़पने का एक आसान तरीका सोचा और उन्होंने अपनी बहू गजरी से चांदी को डायन घोषित कराने का नाटक करवाया। गजरी एक ही बात दोहरा रही थी -"चांदी तू डाकन है गांव छोड़कर भाग जा, वर्ना तुझे मेरे परिवार के लोग मार डालेंगे।" उन्होंने सुर्ख लाल लोहे के सरिये को गर्म कर चांदी को पकड़ने को कहा। तभी मोहल्ले के तीन-चार परिवारों के लोग (जो गुर्जर नहीं थे) बीच बचाव करने आये तभी चांदी ने अपनी देशी भाषा में न्याय की गुहार की- गजरी को गर्म सलाखों से दागो या पकड़ने को बोलो (इसके पीछे गांवो में

यह मान्यता है कि जो महिला जिसके नाम से 'खेल' रही है, उसे यदि गर्म सलाखों से दागा जायेगा तो उसके जलने के निशान उसके शरीर पर अंकित होंगे, जिसके नाम से वह खेल रही है) अतः यदि चांदी वास्तव में डायन हुई तो दागा गजरी को जायेगा और निशान चांदी के शरीर पर होंगे। इसी सोच के चलते चांदी ने ऐसा कहा। इस बात को सुनकर गजरी पूरी तरह से होश में आ गयी व तुरन्त ही एक सामान्य व्यक्ति की तरह बातें करने लगी, मानों चन्द क्षणों में ही उसके शरीर से डायन भाग गई।

इस पूरी घटना की जानकारी 4/9/2001 को लिखित रूप से चांदी के पुत्र जमना लाल ने पुलिस अधीक्षक को दी। इस पर कोई कार्यवाही नहीं होने पर जमना कुम्हार पुनः 7/9/2001 को पुलिस अधीक्षक से मिला। फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद वह सम्बन्धित थाने लुहारिया चौकी पर गया तो वहां कहा गया कि हमारे पास अभी तक कोई कागज़ कार्यवाही हेतु नहीं आया, जब आयेगा तभी कार्यवाही करेंगे। दीवान गिरधारीसिंह ने एक हज़ार रुपये रिश्वत देने की पेशकश की। परेशान जमना ने गिड़गड़ाते हुए कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं तो दीवान बोला- "चल थोड़ा कम कर दें, कार्यवाही तो पैसा देने से ही होगी क्योंकि सामने वाली पार्टी ज़ोरदार है।" इस तरह 800 रुपये देकर जमना पुलिस कार्यवाही की प्रतीक्षा करता रहा परन्तु मुलज़िमान के ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही करना तो दूर उन्हें थाने तक नहीं बुलवाया गया।

चांदी कुम्हार को यकायक ही भागू गुर्जर द्वारा डायन घोषित करने का एक और कारण था। गत चुनाव में चांदी महिला वार्ड पंच का चुनाव जीती, उसकी गांव में इज्ज़त है। इस घटना के तुरन्त बाद चांदी को अपनी बहू व छोटे बच्चों के साथ गांव छोड़कर भागना पड़ा व समीप के गांव भादू जाकर शरण लेनी पड़ी।

आयोग ने भी सुनवाई नहीं की

इस घटना की जानकारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी भेजी गई जिसमें उनके पत्र/केस नम्बर 1893/20/2001-2002 के मुताबिक केवल मामला दर्ज़ करने की बात कही गई, परन्तु आज तक इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई।

घटना के एक माह बीत जाने के पश्चात् भी जब पुलिस ने दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की तब चांदी अपने बेटे जमना के साथ बाल व महिला चेतना समिति के सदस्यों से मिलकर सहयोग मांगा। संस्था द्वारा पुलिस पर दबाव बनाये जाने के बावजूद भी जब पुलिस प्रशासन द्वारा अरोपियों

के ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं की गई तब तय किया गया कि कुम्हार जाति पंचों की बैठक बुलाकर चांदी का उसके गांव में पुनर्वास किया जाए।

संस्था प्रतिनिधियों द्वारा गुर्जर समाज के जातिपंचों के साथ बैठक की गई जिसमें उनके द्वारा चान्दी पर किये गये अमानवीय कृत्य पर चिन्ता जताई गई व चांदी एवं कुम्हार समाज से माफ़ी मांगने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे उन्होंने स्वीकारा। छप्पन गांवों के कुम्हार जातिपंचों को इस बैठक में जोड़ा गया व डायन मुद्दे पर बातचीत की गई। बैठक का ख़र्चा गुर्जर समाज द्वारा वहन किया गया एवं जुर्माने के तौर पर ग्यारह हज़ार रुपये जमना को दिलाये गये। गुर्जर समाज के लोगों ने स्टैम्प पर माफ़ीनामा लिखकर दिया व भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृति नहीं करने की शपथ ली। उन्होंने पूरे कुम्हार समाज के सामने स्वीकारा कि हमने तीन बीघा ज़मीन की ख़ातिर ही चांदी को डायन घोषित किया।

अब चांदी ससम्मान उसी गांव में अपने परिवार के साथ जीवन गुज़ार रही है।

केस संख्या-3

आखिर कितनी डायनें और......
75 वर्षीय खेमी, गांव भादू

भीलवाड़ा की माण्डल, तहसील के भादू गांव में दुर्बल काया की पिचहत्तर वर्षीय खेमी को ज़िन्दगी के अंतिम पड़ाव में डायन होने की ज़िल्लत झेलनी पड़ी और वह भी अपने ही परिजनों द्वारा।

खेमी के पति, पुत्र, बहू सभी थे परन्तु दुर्भाग्य से एक-एक कर सभी की मौत हो गई। अब परिवार के नाम पर उसका एकमात्र 18 वर्षीय पोता गोपाल था, वह भी महाराष्ट्र जाकर रोज़गार करता था।

खेमी के परिवार की ही सत्रह वर्षीय बहू चांदी ने पिछले छः माह से उसका जीना दूभर कर रखा था। उसने चलाणिया भैरूनाथ का भाव शरीर में लाने का नाटक किया व खेमी को डायन घोषित कर दिया और उस पर इंसानों के कलेजे खा जाने का संगीन आरोप लगाया। चांदी ने 'खेलते' हुए ये तक घोषणा कर दी कि अब खेमी जानवरों को भी खा जाएगी।

एक रात दस बजे चांदी ने टेर लगाकर गाते हुए ऐलान कर दिया- ''खेमी कुएं में गिरकर मर चुकी है, मुझे भैरूनाथ का हुक़्म है कि उसे जलाने की तैयारी करो।'' चांदी के सहयोगी खेमी को जलाने की तैयारियां करने लगे। जब खेमी ने यह सुना तो वह बहुत घबरा गई और रात में ही वह घर छोड़कर पास के गांव मेजा की तरफ दौड़ पड़ी। किसी राहगीर ने रास्ता दिखाया तो देर रात मेजा पहुंच कर अपने रिश्तेदारों के यहां शरण ली।

इससे पूर्व भी चांदी ने ऐसे नाटक किए थे। एक बार उसने गर्म सरिये से खेमी को चिपकाने का हुक़्म दिया था। खेमी उस वक़्त भी काफ़ी डर गई थी, मगर उसने हिम्मत करके गांव वालों के सामने कहा-''यदि मैं डायन हूं और चांदी के शरीर में आकर उसे परेशान कर रही हूं तो यह गर्म सरिया मेरे नहीं चांदी की पीठ पर लगाओ। इससे उसके जलने का निशान मेरे शरीर पर आ जायेगा।'' शातिर चांदी समझ गई कि अब उसका झूठ पकड़ा जाएगा। उसने तुरंत कहा- ''मुझे

भैरूनाथ का हुक्म नहीं है मेरे मत लगाओ।'' इस तरह कई बार सरेआम खेमी को अपने ही गांव वालों के सामने अपमानित होना पड़ा और अग्निपरीक्षाएं देनी पड़ीं कि वह एक सामान्य औरत है कोई डायन नहीं।

जब नौबत ज़िन्दा जलाने की आ पहुंची और खेमी को गांव घर छोड़कर जाना पड़ा, तब उसने अपने पोते गोपाल को लेकर बाल व महिला चेतना समिति पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाई। तीस जून को हमने भादू गांव में ही बलाई समाज के पंचों की पंचायत बुलाई जिसमें सामाजिक पंचों के साथ-साथ चांदी के परिजन लादूलाल, हरीश, प्रेमी तथा मदन बलाई सहित बहुत सारे लोग उपस्थित हुए। बाल व महिला चेतना समिति की ओर से अधिवक्ता प्रहलाद राय व्यास, मासूम बैग, प्रेमलता शर्मा, पुष्पा कुम्हार, कमला बलाई, रामपाल मूदंड़ा, मोहनलाल तथा देबीलाल बलाई भी मौजूद थे।

सम्बन्धित थाने में इस मामले की प्रथम सूचना रपट तक दर्ज नहीं की गई, न ही खेमी को थाने से किसी तरह की राहत प्रदान की गई ।

खेमी के पास पांच बीघा ज़मीन थी और खेमी का जेठ उस ज़मीन को हथियाना चाहता था। इसके लिये उन्होंने अपनी पुत्रवधूचांदी को मोहरा बनाया और डायन घोषित कर खेमी की जीवन लीला समाप्त करनी चाही ताकि ज़मीन पर वह कब्ज़ा कर सके। इसी मंशा के चलते उसने यह नाटक अपनी बहू से करवाया।

अक्सर गांवों में देखा गया है कि महिलाओं को जीने के लिये बहुत कम मौक़े दिये जाते हैं। अधिकांशतः तो वह घुट-घुट कर जीने को मजबूर होती हैं। अपरिपक्व चांदी भी बहुत कम उम्र में विवाह कर इस घर में आई। बड़ा परिवार होने के नाते उसका अधिकांशतः समय घर के कामों में ही गुज़र जाता। घर में सास व ननद की पूरी निगरानी रहती। डायन का मामलों के पीछे औरतों की दबी इच्छायें ही इसके मूल कारण निकलकर सामने आते हैं। चांदी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। जब से उसने यह डायन वाला खेल खेला, घर परिवार में उसकी पूछ होने लगी। स्वयं पर देवता आने के बहाने से वह अपनी मनमानी कर पाती। जानकारी मिली कि पिछले एक वर्ष से लगातार वह खेमी को डायन कह कर लान्छित कर रही थी। उसके पड़ोस में रहने वाले लोग भी रोज के तमाशे से तंग आ चुके थे। हमने गांव में चांदी से बात की कि तुम इस तरह शोरगुल कर सभी को परेशान क्यों करती हो। इस बैठक के बाद हमने अनेक बार इस गांव में फॉलोअप बैठकें की, जिसमें सभी को इस बात पर ताज्जुब था कि जब से आपने चांदी से बात की उसके बाद से ही उसने डायन वाला खेल खेलना छोड़ दिया।

गांववासियों, जाति-पंचों तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की मौजूदगी में डायन विषय पर व्यापक चर्चा की गई। सभी के सम्मुख खेमी के जेठ ने यह स्वीकारा कि मैंने ज़मीन के खातिर यह हरकत की। संस्था द्वारा एक स्टैम्प पर लिखवाया गया कि भविष्य में कभी भी चांदी खेमी को डायन अथवा अन्य कोई अपशब्द नहीं कहेगी। यदि जाने अनजाने मे भी लादूलाल के परिवार का कोई भी सदस्य खेमी को किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक बात कहेगा तो ग्यारह हज़ार रुपये 'अर्थदण्ड' भरेगा। साथ ही चांदी और उसके परिवार वालों ने सार्वजनिक रूप से खेमी बाई के पांव पकड़ कर एवं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी।

केस संख्या-4

डायन करार देकर गांव से निकाला
बासठ वर्षीय प्यारी बलाई, गांव - नाहरगढ़

62 वर्षीय प्यारी बलाई, ग्राम नाहरगढ़, थाना-बागौर, माण्डल पंचायत समिति की निवासी हैं उसका पुत्र सांवल बलाई एक सीधा सरल इन्सान है। रामलाल जाट व सावंल बलाई के खेत साथ साथ थे। सावंल, जाट परिवार के खेतों की देखरेख भी करता था। लेकिन रामलाल के मन में खोट था। दलित सांवल की ज़मीन हड़पने की नीयत से उसने एक तरकीब सोची।

एक दिन जब सांवल फेमिन पर काम कर रहा था तभी उगमा जाट नामक व्यक्ति उसे बुलाने आया। वह उसके साथ वहां गया तो सांवल ने देखा कि रामलाल जाट के पिता अपनी पुत्रवधू तथा अन्य जाटों के साथ पेड़ के नीचे उसका इन्तज़ार कर रहे थे तथा उसकी पुत्रवधू को 'भाव' आ रहा था। उसने सांवल की मां पर डायन होने का आरोप लगाया तथा यह भी कहा कि प्यारी बलाई (सांवल की मां) ही उसके पति रामलाल जाट को खा रही है। जाट समुदाय ने कठोर शब्दों में सांवल को तुरन्त गांव छोड़ने को कहा वरना अंजाम भुगतने की धमकी दी। जाटों ने उसे यह भी कहा कि रामलाल को अगर कुछ हो गया तो उसकी अर्थी को भी सांवल के घर में ही जलाएंगे।

हतप्रभ सा सांवल भागता हुआ अपने घर आया और उसी वक़्त घर व मवेशी छोड़कर अपने परिवार के साथ गांव से निकल गया। चूंकि उस गांव में बलाई परिवार का और कोई घर नहीं था, अतः सांवल के परिवार को भूखे-प्यासे रात जंगल में बितानी पड़ी। अगले दिन बाल व महिला चेतना समिति कार्यालय, भीलवाड़ा में आकर अपनी आपबीती सुनाई। इस पर संस्था के कार्यकर्ता नाहरगढ़ पहुंचे। सांवल ने इस पूरे मामले की जानकारी सम्बन्धित थाना अधिकारी को दी व अधिकारी ने एक परिवाद भी लिखा परन्तु कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं किया बल्कि सांवल से रिश्वत बतौर कुछ रुपये और मांग लिये।

इस पर संस्था के लोगों द्वारा जाटों के घर एक बैठक आयोजित की जिसमें यह चर्चा की गई की क्या किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह जिसे चाहे गांव से भगा दे। इस पर उपस्थित

जनसमूह ने एक स्वर में कहा कि ऐसा तो किसी को हक़ नहीं है, गांव तो सभी का है। इसी के साथ डायन जैसी सामाजिक कुप्रथा पर खुलकर चर्चा की। मज़ेदार बात यह रही कि यह बैठक उन्हीं जाटों के घर में रखी गई जिन्होंने प्यारी बलाई को डायन घोषित किया। इस बैठक में हम अन्य गांवों के फ़ैसले से जुड़े फ़ोटोग्राफ़्स भी लेकर गये व उन्हें बैठक में उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। उनका असर उन पर साफ़ दिखाई दे रहा था। जाट समुदाय के लोग डर रहे थे कि हम पर कोई मुक़दमा न कर दे। काफ़ी गहन चर्चा के बाद जाट परिवार के सबसे वृद्ध व्यक्ति ने प्यारी बलाई के पैरों में अपनी पगड़ी रखते हुए माफ़ी मांगी। हमसे गलती तो हुई, आप जो चाहे सज़ा दें। उन्होंने स्वयं 11 हजार रुपये का अर्थ दण्ड देने की पहल की। इस पर हमने सभी लोगों के सामने स्टैम्प पर माफ़ीनामा लिखवाया। निश्चित ही इस बैठक का असर आसपास के गांवों तक भी हुआ। गांवों में यह चर्चा का विषय था कि जाट परिवार के एक वृद्ध व्यक्ति ने एक दलित के पांवों में पगड़ी रखकर माफ़ी मांगी। गांवों के परिपेक्ष्य में यह एक अनूठा उदाहरण है।

केस संख्या-5

देवर देवरानी ने ही गीता की हत्या कर दी
गीता, गांव - उदलपूरा

आसीन्द पंचायत समिति के उदलपूरा गांव के बालू राम बलाई की पत्नी गीता को उसका देवर कल्याण और उसकी पत्नी प्रेमी घर से घनोप माताजी के मन्दिर यह कह कर ले गये कि गीता के शरीर में कोई डायन है। कुछ दिनों तक गीता को वहीं रखा गया। बाद में अचानक गीता लापता हो गई। उसके देवर व देवरानी घर लौट आये और सबसे कहने लगे कि गीता तो कहीं चली गई।

गीता के भाई जगदीश को कुछ शक़ हुआ तो उसने अपने स्तर पर पूछताछ की। कहीं पता नहीं चलने पर 6 अप्रैल को जगदीश ने फुलिया कलां थाने शाहपुरा में गीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने पुलिस को बताया कि गीता के साथ कोई अनहोनी हुई है लेकिन पुलिस ने इसे गम्भीरता से नहीं लिया।

वास्तव में डायन होने के शक़ में देवर कल्याण द्वारा गीता की हत्या कर दी थी। छब्बीस जून को धनोप माताजी के मन्दिर के पास स्थित भगवानपुरा गांव के सूखे कुएं में गीता की लाश मिली। जिसमें उसका नाम लिखा हाथ कटा हुआ (गायब) था। शव पर कपड़े थे और उन पर रेत लगा था। लाश जिस कुएं से बरामद हुई, वह सूखा तथा कम गहरा था। लाश की स्थिति ख़राब होने के बावजूद उसकी शिनाख़्त की गई।

छः अप्रैल को ही गीता के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई जा चुकी थी और देवर देवरानी पर हत्या करने की आशंका व्यक्त की गई थी, परंतु पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। डायन के मामले अत्यन्त ख़तरनाक होते हैं, यदि समय रहते पुलिस मुस्तैदी से जुटती तो गीता की जान बचाई जा सकती थी।

यहां पूरे घटनाक्रम पर नज़र डालें तो देवर द्वारा हत्या की साजिश करने के पीछे मंशा साफ़ थी। बाईस वर्षीय गीता एक होनहार चुस्त दुरुस्त महिला थी, जिसने अपनी मेहनत से स्वयं के हिस्से की ज़मीन को संभाल रखा था। यह बात देवर देवरानी के गले नहीं उतरी। गीता का पति पिछले कुछ

वर्षों से बीमार व मानसिक रोगी था। अतः गीता के जेठ ने षड्यंत्र रचकर उसे डायन घोषित कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। डायन के बहाने से उन्होंने एक मनगढ़न्त कहानी बनाई कि गीता को डायन लगी है ऐसे में वह अपना मानसिक सन्तुलन खोकर कहीं चली गई।

जबकि वास्तविकता यह थी कि देवर देवरानी ने मिलकर पहले तो गीता की निर्मम पिटाई की बाद में घायलावस्था में उसे पास ही के गांव भगवानपुरा के एक सूखे कुंए में फेंक कर घर लौट आये।

मामले के प्रारम्भ से ही पुलिस इसे हत्या मानने से इनकार करती रही। देवर कल्याण ने गीता के मानसिक रोगी होने के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये। पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के चलते पुलिस द्वारा मामले पर लीपापोती की गई ।

संस्था की भूमिका

बलाई समाज की जाति पंचायत में यह मामला रखा गया एवं सामाजिक स्तर पर कल्याण बलाई को सजा देने की बात हुई। जयपुर में पुलिस उच्चाधिकारियों के साथ होने वाली बैठक में संस्था ने इस केस को पुनः खोले जाने की मांग की है। मामला विचाराधीन है।

केस संख्या-6

डायन के नाम पर मारपीट की
सैयदा बानू, गांधीनगर

शहर के गांधीनगर इलाक़े की सैयदा बानू ने एस.पी. के समक्ष उपस्थित होकर एक अर्जी पेश की। उसमें लिखा था कि पड़ोस में रह रही ज़रीना व बसीम ने मेरे साथ सामूहिक मारपीट की तथा बाल खींचकर बाहर घसीटते हुये सड़क पर पिटाई की। पिछले दो वर्षों से उन्हें शक़ है कि सैयदा का आचरण उनके पति के साथ ठीक नहीं है। इसी के चलते उन्होंने उसकी डायन कहकर पिटाई की।

सैयदा ने संस्था के लोगों से सम्पर्क किया। हमने जब उन महिलाओं से बात की तो उनके पास कोई भी ठोस आधार नहीं था जिससे वे यह प्रमाणित कर पातीं कि उनके पति से सैयदा के अवैध रिश्ते हैं। बल्कि बातचीत में यह उभरकर आया कि दोनों परिवारो में पुरानी रंजिश के चलते उनके आपसी मनमुटाव हैं इसीलिए अवसर पाते ही उन्होंने सैयदा को मात्र नीचा दिखाने के उद्देश्य से उसे डायन कहकर अपमानित किया।

केस स्टेडी संख्या-7

.डायन करार देकर निर्मम हत्या
नानी लुहार, गांव - ईटडियां

ज़िले की *शाहपुरा पंचायत समिति* के ईटडियां गांव की पैंतालीस वर्षीय एकल औरत नानी लुहार की उसके पड़ोसी गोपाल जाट ने हत्या कर दी। मध्य रात्रि को सोई हुई नानी पर उसने धारदार हथियार से हमला किया। अभियुक्त गोपाल जाट के छोटे भाई रामलाल जाट की पत्नि रामू कई दिनों से बीमार थी। परिजनों को आशंका थी कि पड़ोसन नानी ने उस पर कोई जादू-टोना कर रखा है जिससे उसकी हालत बिगड़ रही है। रामू के परिजन उसे बजाय अस्पताल ले जाने के देवता व दरगाहों के चक्कर लगाते रहे। देवता द्वारा रामू पर किसी ऊपरी हवा लगने की बात सुनते ही वह सीधा पड़ोस में अकेली रह रही नानी लुहार के घर पंहुचा और बहुत ही बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या कर दी। सुबह जब नानी बिस्तर से नहीं उठी तो पड़ोस में रह रहे लोगों ने संदेह व्यक्त किया कि आज नानी उठी क्यों नहीं? नानी का इकलौता पुत्र गोपाल लुहार खानों पर काम करता है, अतः उस समय वह अकेली घर में थी।

संस्था की भूमिका

घटना के काफी दिनों बाद इस हादसे का खुलासा अख़बार में छपी खबर से हुआ। गांव का प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते अभियुक्त गोपाल जाट ने पुलिस से सांठ-गांठ कर मामले पर लीपापोती करवा दी। अतः मामले के प्रारम्भ में ही पुलिस ने इसे जानबूझकर संदिग्ध मृत्यु एवं साक्ष्य के अभाव में कमज़ोर बनाया जिसके चलते अभियुक्त एक वर्ष के कारावास के बाद बरी हो गया।

संस्था द्वारा गांव के बुजुर्ग व अन्य वर्ग के लोगों के साथ बैठकें आयोजित की गई। बैठक में इस बात पर विचार किया कि क्या किसी निर्दोष महिला पर ऐसा अत्याचार करना उचित है? वह भी बिना किसी ठोस वजह के। हमारे समाज में व्याप्त अन्धविश्वास के चलते इस तरह की बुराइयों को रोकना निहायत आवश्यक है साथ ही एस.पी. को पत्र लिखकर मामले की पुनः निष्पक्ष जांच कराने हेतु मांग की ताकि निर्दोष नानी लुहार की तरह अन्य महिलाओं को ऐसी यातनाएं नहीं झेलनी पड़ें।

केस स्टेडी संख्या-8

केस संख्या-9

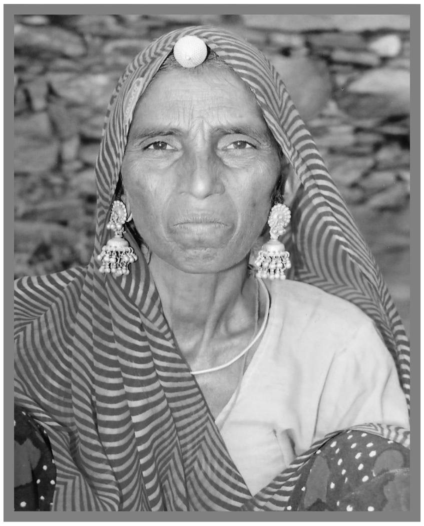

फिर दलित महिला ही डायन की शिकार मोहिनी देवी, गांव - झालरिया

दलित बलाई परिवार की पचपन वर्षीय मोहनी देवी भीलवाड़ा जिले के *आसीन्द थाना क्षेत्र* के झालरिया गांव की रहने वाली है। उसे उसी गांव के गुर्जर जाति के लोगों ने गांव की चौपाल पर सभा बुलाकर सरेआम डायन घोषित कर दिया। उन्होंने उस पर आरोप लगाया कि वह पिछले तेरह वर्षों से गांव के जग्गूराम गुर्जर को खा रही है।

सार्वजनिक सभा में धर्मा (पिता सोराम गुर्जर), अनोपी (पत्नि भागू गुर्जर) तथा बीमार व्यक्ति जग्गूराम (पिता हरा गुर्जर) ने मोहनी देवी को डायन बताते वक़्त 'भाव खेलने' का नाटक किया तथा यह ज़ाहिर किया कि उसके शरीर में देवता आ रहे हैं। इन कथित 'भोपों' द्वारा मोहनी को डायन बताते ही सभा स्थल पर सनसनीखेज हंगामा मच गया तथा गाली गलौच किया जाने लगा। गुर्जर जाति के लोगों द्वारा मोहनी को काट डालने की कोशिश तक की गई। डायन का कलंक लगते ही मोहनी को तीनों भोपों ने पकड़कर घसीटा, मारा पीटा लात-घूंसे और थप्पड़ मारते हुये लोगों को आदेश दिया कि यह डायन है इसे ज़िन्दा जला डालो। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से गांव के दलित परिवार के लोग सहम गये और उनके अन्दर डर समा गया क्योंकि आसपास के गांवों में आरोपियों की जाति गुर्जर समाज के हजारों रहते हैं। मोहनी की जान पर आये संकट के मध्य नजर झालरियां गांव के ही कुछ समझदार लोगों ने उस वक़्त बीच बचाव कर गुर्जरों के चंगुल से छुड़ाया। इस तरह उसकी जान तो बच गई लेकिन उसे गांव छोड़ने की चेतावनी दी गई तथा ऐसा नहीं करने पर जान से ख़त्म करने का सार्वजनिक घोषणा कर दी गई।

इस हादसे की खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई जिससे दलितों व गुर्जरों के बीच जाति तनाव की आशंका पैदा हो गई। इस पर मोहनी के बेटे सुवालाल ने संस्था प्रतिनिधि से मिलकर पूरा घटना क्रम बताया। इसके बाद संस्था की मदद से पुलिस में अपनी मां के साथ हुये अत्याचार की शिकायत की। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की प्राथमिकी तो दर्ज कर ली लकिन इसे हत्या की कोशिश

मानने से साफ़ इंकार कर दिया और भादस 323 तथा अजा. जजा. अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 (10) के तहत मुकदमा (172/04) दर्ज करके जांच सम्बन्धित उपाधीक्षक को सौंपी। घटना के दस दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस पर संस्था ने पुलिस अधीक्षक पर दबाव बनाकर शीघ्र कार्यवाही की मांग की।

संस्था की भूमिका

हमने शीघ्र ही झालरियां गांव जाकर गुर्जर समुदाय के लोगों के साथ बात-चीत कर यह जानना चाहा कि आखिर ऐसा करने के पीछे कारण क्या था। पता चला कि मोहनी घर में अकेली रहती है। बेटा बाहर खाने-कमाने जाता है। मोहनी इस सम्पन्न, प्रभावशाली परिवार के सामने रहती है। ऐसे में धर्मा की नज़र हमेशा मोहनी पर रहती थी और कई बार उसने उसे अश्लील इशारे भी किये। उसके प्रस्ताव को नहीं मानने के कारण व मोहनी द्वारा मामले को गांव में उजागर करने की बात सुनकर उसने मोहनी की ज़ुबान बन्द करने की नीयत से उसे डायन क़रार दिया। वर्तमान में सम्बन्धित थाने पर मामला कोर्ट के विचाराधीन है।

केस संख्या-9

दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर डायन क़रार दिया
अनाथ बिन्दु, फतेहनगर

भीलवाड़ा निवासी तेईस वर्षीय अनाथ बिन्दु का विवाह फतेहनगर, ज़िला-उदयपुर के मोहनलाल पामेचा के साथ हुआ। शादी के बाद से ही बिन्दु के ससुराल वाले उससे कम दहेज लाने के कारण नाराज़ थे। बिन्दु का पति व्यवसायिक था अतः उसे डेढ़ लाख रुपये की ज़रूरत थी। वह चाहता कि बिन्दु किसी तरह यह पैसा अपने पीहर से लाकर उसे दे दे। बात-बात पर सास-ननद व पति बिन्दु को ताना देते कि दहेज में कुछ लाई नहीं पर ऐशोआराम सभी चाहिये। बिन्दु मन ही मन काफ़ी दुःखी रहती थी। वह जानती थी कि उसके घरवाले उनकी मांग को पूरी नहीं कर सकते। दिनों-दिन बिन्दु पर ससुराल वालों के अत्याचार बढ़ते ही चले गये। एक दिन उनके ज़ुल्मों की हद तब हो गई जब बिन्दु के पति ने इस्तरी गर्म कर उसके हाथ पर रख दी। इससे बिन्दु का हाथ बुरी तरह झुलस गया।

हमेशा की मारपीट व गालीगलौच से तंग आकर एक दिन बिन्दु ने अपने पड़ोसी से कहा कि आप फ़ोन करके मेरे चाचा को यहां बुला दो। जब बिन्दु के चाचा अपने परिवार के कुछ जनों के साथ बिन्दु के ससुराल पहुंचे तो वे बिन्दु की हालत देख अवाक् रह गये। शादी के डेढ़ वर्ष में ही बिन्दु काफी कमज़ोर हो चुकी थी। उसके छः माह की एक पुत्री भी थी। ससुराल वालों ने बिन्दु के परिजनों के साथ काफ़ी बदसलूकी की और कहने लगे ‘‘आपकी बेटी डायन है यह मेरी मां को खा रही है। जबसे शादी करके आयी है, तब से लगातार मेरी मां के पेट में दर्द रहता है। अतः आप इसे यहां से ले जाये।’’ बिन्दु ने घुटन भरे माहौल से तंग आकर आखिर अपने परिजनों के सामने मुंह खोल दिया व कहने लगी- ‘‘आप वास्तविक कारण क्यों नहीं बताते कि आप दहेज में मुझ से डेढ़ लाख रुपये लाने की मांग कर रहे हैं। आपकी मां तो शादी से पहले ही बीमार रहती थी। मुझ पर डायन का झूठा आरोप लगाकर बदनाम किया जा रहा है। मैं अब और सहन नहीं कर सकती।’’

बिन्दु ने ससुराल छोड़कर चाचा के साथ भीलवाड़ा आने का फ़ैसला किया। जब बिन्दु अपनी छः माह की दूध पीती बच्ची को लेकर आने को तैयार हुई तो बिन्दु के पति ने बच्ची को छीनते हुये

कहा बच्ची मेरी है इसे यहीं छोड़कर जा। विवश बिन्दु को अपने कलेजे के टुकड़े को ससुराल में ही छोड़कर चाचा के साथ भीलवाड़ा आना पड़ा।

संस्था की भूमिका

बिन्दु के चाचा ने संस्था को घटना की जानकारी दी। इस पर संस्था के सहयोग से ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना के मामले से जुड़ी प्रथम सूचना रपट महिला थाना भीलवाड़ा में दर्ज कराकर पुलिस से सहयोग की मांग की कि बिन्दु की पुत्री व स्त्रीधन तुरन्त दिलाया जाये। अगले ही दिन पुलिस की मदद से बिन्दु के ससुराल से उसकी पुत्री व दहेज का सामान लेकर भीलवाड़ा आ गये। ससुराल से बिन्दु के पति व सास को पुलिस ने गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया। यह मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। बिन्दु अपने परिजनों के साथ रह रही है।

केस संख्या-10

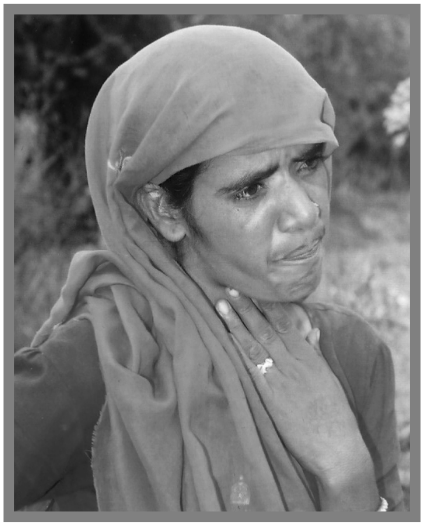

पैसे की खातिर डायन करार दिया
गंगा वैष्णव, गांव - सिडियास

बीस वर्षीय गंगा वैष्णव, पिछले बारह साल से *गांव सिडियास* में अपने पति गोपाल वैष्णव के साथ रह रही है। गोपाल के पिता से लादु दरोगा ने कुछ वर्ष पूर्व पैसा उधार लिया जिसे वह चुकाना नहीं चाहता था। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। पुरानी उधारी के चलते जब गोपाल ने पैसा मांगा तो उसने गोपाल की पत्नि गंगा वैष्णव को भरे गांव में डायन घोषित कर दिया।

पिछले कुछ महीनों से लादु दरोगा गांव में घूमकर व ज़ोर से चिल्लाता कि गंगा मुझे खा रही है। इस तरह यह परिवार बुरी तरह जलील हो रहा था। इनके जाति के लोग भी इन पर उंगली उठाने लगे कि गंगा डायन है। एक दिन भरे गांव में जब लादु दरोगा खेलकर गंगा को बदनाम कर रहा था तो गंगा के परिवार वाले वहां पहुंचे और कहा- पकड़ यह सुर्ख लाल लोहे की छड़, यदि मैं डायन हुई तो उसके शरीर पर जलने के निशान आ जाएंगे। यह सुनते ही लादु दरोगा के होश उड़ गये। वह चुपचाप बेहोशी का नाटक करने लगा परन्तु अगले ही दिन वह फिर शुरू हो गया। इस पर गोपाल वैष्णव ने माण्डल थाना जाकर लादु दरोगा के ख़िलाफ़ प्रथम सूचना रपट लिखवाई परन्तु कार्यवाही के नाम पर पुलिस ने कुछ नहीं किया केवल हल्की फुल्की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया।

महिला संगठन के दबाव के चलते आखिर पुलिस ने माण्डल कोर्ट में चालान पेश किया। जिसकी अभी भी सुनवाई चल रही है। पर इसमें अहम् सवाल यह है कि कोर्ट 323 जैसी मामूली धारा में दर्ज़ है। जहां वास्तव में हत्या या आत्महत्या के लिए मजबूर करने जैसी कड़ी धाराओं में केस दायर होना चाहिए था तभी समाज में व्याप्त इस बुराई पर काबू पाना संभव होगा।

एक अन्य महिला लक्ष्मी कुमावत को भी इसी व्यक्ति ने डायन कहकर प्रताड़ित किया परन्तु अन्त में उक्त महिला ने लालच में आकर ले देकर मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया। गंगा वैष्णव को अभी भी न्याय की प्रतीक्षा है।

केस संख्या-11

यौन शोषण की नीयत से डायन क़रार दिया काली रैगर, माण्डल पंचायत

इक्कीस वर्षीया काली रैगर भीलवाड़ा ज़िले की *माण्डल पंचायत* में रहती है। रैगर(दलित) समाज की वह एक अकेली स्नातक युवती है। वह बचपन में ही ब्याह दी गई पर उसने प्राइवेट परीक्षा देकर भी अपनी शिक्षा जारी रखी। उसने ससुराल में तीन वर्ष बमुश्किल बिताये। आये दिन की मारपीट व अन्य हिंसा से तंग आकर अन्ततः काली अपने पीहर में रहने लगी।

पीहर में पिता कारीगरी का काम कर परिवार का बोझ ढो रहे थे। काली भी फेमिन(फैमाइन रिलीफ़ प्रोजेक्ट) पर काम करके परिवार की आर्थिक मदद कर रही थी। तभी काली के पास 'सतत् शिक्षा केन्द्र' पर नौकरी करने की पेशकश आई जिसे उसने तुरन्त स्वीकार कर लिया। वह पिछले एक वर्ष से केन्द्र पर बच्चियों को पढ़ा रही थी कि उसी सर्कल के एक अधिकारी एस.एन. नुवाल की नीयत बिगड़ गई। एक दिन जब वह सर्कल की सभी अध्यापिकाओं का भुगतान कर रहा था, तभी काली भी अपने पैसे लेने वहां पहुंची। नुवाल ने एक नाटक रचा कि काली का भुगतान हो चुका है फिर भी वह दोबारा पैसा मांग रही है। उसके कपड़ों की तलाशी ली जाये। यह कह कर वह 150 महिलाओं के बीच से काली को उठाकर ऑफिस के एक एकान्त कमरे में ले गया व काली को बहुत ही भद्दी जातिगत गालियां देने लगा- ''रेगरटी, तू चोर है, बता पैसे कहां छिपाये?'' यह कहते हुये नुवाल ने काली के साथ शारीरिक छेड़छाड़ शुरू कर दी। ताज्जुब की बात तो यह थी कि उपस्थित डेढ़ सौ महिलाओं में से किसी एक ने भी नुवाल का विरोध नहीं किया परंतु काली ने पूरे गुस्से से नुवाल का प्रतिरोध किया- ''आप किस आधार पर यह कहते हैं कि मैंने भुगतान ले लिया है और यदि ले लिया तो वह बरामद भी होना चाहिये। आपने मुझे सभी के सामने बिना किसी कारण के अपमानित किया, मैं आपको छोडूंगी नहीं।'' बस काली का इतना कहना हुआ कि नुवाल ज़मीन पर लोटते हुये कहने लगा- ''रेगरटी डाकन है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसे सभी मिलकर मारो, वरना किसी और को भी खा जायेगी।'' इस बार काली ने समूह में आकर उपस्थित सभी औरतों के सामने घटना की सच्चाई रखी। सभी औरतें आश्चर्य चकित रह गईं कि नुवाल डायन के बहाने काली के

साथ यौन शोषण करना चाहता था और जब वह कामयाब नहीं हुआ तो उसने काली को ही डायन करार दे दिया।

संस्था की भूमिका

जब काली अगले दिन अपने साथ हुई घटना को लेकर संस्था के पास पंहुची तो काली को एक अर्जी लिखकर सीधे ज़िला कलेक्टर से मिलवाया व नुवाल के विरुद्ध तुरंत कार्यवाही की मांग की। कलेक्टर ने पूरे मामले को गंम्भीरता से सुना व एक जांच दल माण्डल पंहुचा। जांच दल की रपट पर नुवाल को नौकरी से निलम्बित कर दिया गया। इसका असर आसपास के गांवों व कार्यकर्त्ताओं पर भी पड़ा। उन्हें नसीहत मिली कि ज़ुल्म को चुप रहकर सहना ही ज़ुल्म की शुरुआत है। संस्था ने इस मुद्‌दे पर काफी सघनता से किशोरियों व कार्यकर्त्ताओं के साथ चर्चा की, जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा। काली को इस पूरे मामले से काफ़ी प्रेरणा मिली। आज वह एल.एल.बी. द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रही है। उसका सपना है कि वह एक दिन मजिस्ट्रेट बने।

केस संख्या-12

गरीबी बनी डायन का कारण
भावना

जब से होश संभाला तभी से भावना ने लोगों के घरों में काम करके अपने परिवार की मदद की। छोटी उम्र में ही उसकी शादी हो गई। शादी के कुछ समय बाद वह ससुराल जाने लगी उसी दौरान वह गर्भवती हो गई। भावना की कम उम्र और नासमझी के कारण भावना के पति ने गर्भ गिराने की पूरी कोशिश की मगर वह असफल रहा। भावना ने बच्चे को जन्म दिया परन्तु उसकी सास और ननद यही कहती रहीं कि यह बच्चा हमारा नहीं है। इसी दौरान वह काफ़ी परेशान रहने लगी लेकिन उसने अपने घरवालों को कुछ भी नहीं बताया। कुछ समय बाद जब इन बातों का घरवालों को पता चला तो दोनों परिवारों में आपसी तनाव बढ़ गया। कम उम्र और बीमारी के कारण सातवें महीने में ही भावना ने एक बच्चे को जन्म दिया लेकिन कुछ घण्टों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। ससुराल वालों द्वारा बच्चे की मृत्यु का कारण उसकी मां भावना को बताया गया क्योंकि वह दूसरों के घरों में काम करती थी। तेरह घरों की सब्ज़ियां खाने तथा पानी पीने के कारण वह डायन हो गयी है। उसी दौरान वह काफ़ी बीमार रहने लगी फिर भी ससुराल वालों के अत्याचार कम नहीं हुए। उसकी सास उसका मुंह देखना भी अशुभ मानती व उसके हाथ का बना खाना व पानी भी नहीं पीती। इसी तरह की अनेक मानसिक हिंसाओं से तंग आकर एक दिन वह अपने मायके चली गई।

इसी बीच भावना के पीहर से कुछ लोग ससुराल वालों से बातचीत करने गये। उन्होंने आश्वासन दिया कि अब हम उसे तकलीफ़ नहीं देंगे परन्तु डेढ़ वर्ष के बाद जब वह वापिस ससुराल गई तो उसकी सास ने जेठानी से कहा- "इसके सामने बच्चे को दूध मत पिलाओ" और उसे फिर से परिवार से अलग थलग कर दिया। अगर परिवार में कभी कोई बीमार हो जाता तो कहा जाता कि इसने कुछ कर दिया होगा इसलिये यह बीमार हो गई। जब वह अपने पति को इन सब घटनाओं के बारे में बताती तो वह कहता कि ऐसा तो हर घर में ही होता है व बात को टाल देता। इन परेशानियों से तंग आकर उसने पति से, अलग रहने को कहा तो मना कर दिया। आखिरकार उसे

घर छोड़ना पड़ा क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। पीहर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से वह वहां भी नहीं जा सकती थी।

संस्था की भूमिका

पिछले दो वर्षों से भावना अपने पीहर-ससुराल से अलग रहकर अपनी आगामी शिक्षा (कक्षा 10) पूरी कर रही है। संस्था प्रतिनिधियों द्वारा ससुराल में एक बैठक आयोजित कर यह तय किया गया कि भावना आपके रिश्तों से पूरी तरह मुक्त है। वह भविष्य में जब भी चाहे अन्यत्र नाता करके अपना जीवन यापन करने को स्वतंत्र होगी। विशेष तौर पर यह शर्त रखी गई की इसके झगड़े की राशि लेने के हकदार न ससुराल वाले होंगे और न ही पीहर वाले। नातागत जातियों में यह रिवाज़ है कि जब भी कोई औरत अपने ससुराल से नाता तोड़कर अन्यत्र किसी पुरुष से नाता जोड़ती है तो जहां वह रिश्ता बना रही है उस पक्ष को पूर्व पति पक्ष को एक लाख रुपये से लेकर आगे तक 'झगड़े की राशि' देना आवश्यक होता है। ऐसा नहीं करने पर पूर्व ससुराल वालों की ओर से जाति पंचायत बिठाकर आर्थिक दण्ड/सामाजिक बहिष्कार तक किया जाता है। ऐसे में वह औरत जो उस पुरुष से सम्बन्ध जोड़ती है उसे ताउम्र उसका कर्ज़दार रहना पड़ता है। साथ ही वह व्यक्ति (वर्तमान पति) उस महिला के साथ एक खरीदी हुई वस्तु की तरह पेश आता है। बात-बात पर उसे यह ताना सुनना पड़ता है कि तुम्हारे लिये एक लाख खर्च किया है। अतः तुम पुनः कमाकर इसे पूरा करो। छीपा जाति में ऐसा पहला मामला है जब किसी लड़की को बिना झगड़े के ससुराल वालों से मुक्ति मिली है।

केस संख्या-13

परिजनों ने ही डायन करार दिया
हरकू गुर्जर, गांव-हड़मादा

तीन माह पूर्व, *आसीन्द पंचायत समिति* के हड़मादा गांव की हरकू गुर्जर को उसी के परिजन अमरा, दल्लू, श्रीराम, सरजू, ने मिलकर पीटा व गांव की चौपाल पर निर्वस्त्र कर घुमाया। हरकू के पति की मृत्यु हो गई है। वह अपने छोटे बच्चों के साथ संयुक्त परिवार में रहती है परन्तु परिवार के लोग नहीं चाहते कि वह अपने पति की ज़मीन पर खेती करे इसलिए हरकू के जेठ ने उसे रास्ते से हटाने की सबसे आसान तरकीब सोची। उनके परिवार में कोई भी बीमार होता तो डायन होने के शक़ में हरकू को अनगिनत गालियां देकर अपमानित किया जाता व जान से मारने की धमकी तक दी जाती थी। साथ ही गांव छोड़ने का दबाव बनाया जाता। हरकू ने इन्हीं घटनाओं से तंग आकर अपने परिजनों के विरुद्ध रपट लिखाई जिस पर कार्यवाही तो कुछ नहीं हुई क्योंकि थानों में अक्सर इस प्रकार की घटनाओं पर पुलिसकर्मियों की टिप्पणी होती है कि यह तो आम घरेलू मामले हैं। ऐसे मामलों पर पुलिस किन धाराओं में मामला दर्ज करे?

अन्त में गांव में सभी मोतबिरान (जनप्रतिनिधि) को एकत्रित कर इस मसले को उनके सम्मुख रखा तथा गांव स्तर पर ही इसके दण्ड की बात कही। हरकू के जेठ ने स्वीकारा कि अब भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृति नहीं करेगा।

भीलवाड़ा जिले में डायन करार/घोि ात की गई महिलाओं की सूची (2001-2006 तक) :- (सारणी संख्या-1)

क्र. स.	पीड़िता का नाम	गांव / पं0 स0 का नाम	उम्र	जति SC / ST/ OBC	प्रताड़ित / आरोपित करने वाले का नाम	पीड़िता से सम्बन्ध	यातना का प्रकार	पीड़िता ज़िन्दा / मृत	प्राथमिकी दर्ज हुई		गिरफ़्तारी	आरोपित करने के पीछे मंशा / कारण	संस्था द्वारा पुनर्वास हेतु किये गये प्रयास	वर्तमान केस की स्थिति
									हां / नहीं	एफ.आई. आर.सं0	हां / नहीं			
1	लाडू बाई	रूपाहेली (सुवाणा)	40 वर्ष	लुहार OBC	लक्ष्मण गिरी	पड़ोसी	निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया।	ज़िन्दा	×	–	×	ज़मीन पर कब्ज़ा करने की मंशा	जाति पंचों के साथ बैठक आयोजित कर आरोपी से माफी मंगवाई तथा शपथ पत्र लिया ताकि घटना की पुनरावृति न हो	पीड़िता पूर्ववत् गावं में बहाल हाकर जीवनयापन कर रही है
2.	चान्दी बाई	खेपड़ा खेड़ा (माण्डल)	60 वर्ष	कुम्हार OBC	भागू गुर्जर	–	ट्रैक्टर के पीछे बांधकर घसीटा व मारपीट कर गांव से निकाला	ज़िन्दा	×	बहुत दबाव के बाद भी FIR दर्ज नही की	×	ज़मीन पर कब्ज़ा करना	जाति पंचों के साथ बैठक आयोजित कर आरोपी से माफी मंगवाई तथा शपथ पत्र लिया ताकि घटना की पुनरावृति न हो	पीड़िता पूर्ववत् गावं मे बहाल होकर जीवनयापन कर रही है
3.	खेमी बाई	भादू (माण्डल)	65 वर्ष	बलाई SC	चान्दी बलाई	जेठानी की बहू	केरोसीन डालकर जलाने का प्रयास		×	FIR दर्ज करने से इनकार	×	ज़मीन पर कब्ज़ा करना	जाति पंचों के साथ बैठक आयोजित कर आरोपी से माफी मंगवाई तथा शपथ पत्र लिया ताकि घटना की पुनरावृति न हो	पीड़िता पूर्ववत् गावं में बहाल होकर जीवनयापन कर रही है

4.	प्यारी बाई	नाहरगढ (माण्डल)	40 वर्ष	बलाई SC	उगमा जाट	—	गम्भीर मारपीट कर गांव से भगाने का प्रयास	मृत	✔	40/04 107—117—116 (3) CRPC	×	ज़मीन हड़पना	जाति पंचों के साथ बैठक आयोजित कर आरोपी से मांफी मंगवाई तथा शपथ पत्र लिया ताकि घटना की पुनरावृति न हो	पीड़िता पूर्ववत् गावं मे बहाल होकर जीवनयापन कर रही है
5.	गीता बाई	उदलपुरा (शाहपुरा)	30 वर्ष	बलाई SC	कल्याण बलाई	छोटें भाई की पत्नी	षड्यंत्रपूर्वक हत्या कर ज़मीन में गाड़ा	मृत	✔	मृग सेख्या 8/04 25.06. 2004	×	ज़मीन पर कब्ज़ा करना	जाति पंचों के साथ बैठक आयोजित कर आरोपी से मांफी मंगवाई तथा शपथ पत्र लिया ताकि घटना की पुनरावृति न हो	उच्च पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने के बावजूद मामले पर लीपापोती कर एफ. आई. आर. लगा दी
6.	सैयदा बानू	गांधी नगर (भीलवाडा)	30 वर्ष	मुस्लिम MG	ज़रीना व वसीम	मुडलिया पडोंसी	बाल पकडकर सडक पर घसीठा	ज़िन्दा	×	FIR दर्ज करने से इनकार	×	आपसी रंजिश	मौहले की औरतों के साथ बैठक	पीड़िता पूर्ववत् गावं मे बहाल होकर जीवनयापन कर रही है

7.	सीता देवी		35 वर्ष	ब्राह्मण	मंजू शर्मा	पड़ोसी		ज़िन्दा	×		×	पुरानी रंजिश	आपसी बातचीत से सुलह	पीड़िता पूर्ववत् गांव मे बहाल होकर जीवनयापन कर रही है
8.	नानी बाई	ईटडिया (शाहपुरा)	45 वर्ष	लुहार OBC	बालूराम जाट	—	सोते हुए पत्थर से गला रेतकर हत्या	मृत	✓	FIR 188 / 4 6.11.2004	✓	ज़मीन पर कब्ज़ा करना	ग्रामीणों के साथ व्यापक चर्चा	साक्ष्यों के अभाव में अभियुक्त एक वर्ष के कारावास के बाद रिहा।
9.	मोहनी देवी	झालरियां (आसीन्द)	40 वर्ष	बलाई SC	भागू गुर्जर	पड़ोसी	गांव की चौपाल पर मारपीट की मलमूत्र खाने पर विवश किया	ज़िन्दा	✓	172/4 भादस 323 SC.ST.	×	ज़मीन पर कब्ज़ा करने की मंशा	जाति पंचों के साथ बैठक आयोजित कर आरोपी से माफी मंगवाई तथा शपथ पत्र लिया ताकि घटना की पुनरावृति न हो	पुलिस ने प्रारम्भ से ही मामले को 323 में दायर किया। मामला विचाराधीन

10.	बिन्दु देवी	आर. के कॉलोनी (भीलवाडा)	20 वर्ष	पामेचा जैन	सास व पति द्वारा	परिजन	गर्म इस्त्री से दागा व पुत्री छीन ली	ज़िन्दा	✔	प्राथमिकी दर्ज जांच चल रही है	✔	दहेज की मांग पूरी नहीं करने के कारण	ससुराल जाकर चर्चा कर बच्ची मां के सुपुर्द कराई	सास व पति जेल में हैं व बिन्दु पुत्री के साथ पीहर में रह रही है
11.	लक्ष्मी देवी	सिरडियास (माण्डल)	20 वर्ष	बलाई SC	लादु दरोगा	पड़ोसी	बाल खीचकर गांव में घसीटा	ज़िन्दा	–	–	×	जातिगत द्वेष के कारण	गांव के जातिपंचों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक	पीड़िता पूर्ववत् गावं मे बहाल हाकर जीवनयापन कर रही है
12.	गंगा वैष्णव	सिरडियास (माण्डल)	18 वर्ष	वैष्णव OBC	लादु दरोगा	पड़ोसी	चौपाल पर मारपीट की	ज़िन्दा	–	–	×	जातिगत द्वेष के कारण		पीड़िता पूर्ववत् गांव में बहाल हाकर जीवनयापन कर रही है।
13.	काली	माण्डल	22 वर्ष	श्रेगर SC	एस.एन. नुवाल	टीचर	यौन उत्पीड़न की नीयत से अनेक महिलाओं के सामने शारीरिक तलाशी ली	ज़िन्दा	✔	ज़िला मुख्यालय पर प्रार्थना पत्र प्रेषित किया	✔	अधिकारी द्वारा यौन शोषण की इच्छा	गांव में बैठक यौन उत्पीड़न पर व्यापक चर्चा	पीड़िता क़ानून की उच्च शिक्षा ले रही हैं एवं पूर्ववत् जीवनयापन कर रही हैं।

14.	भावना	कोटडी	18 वर्ष	छीपा OBC	परिजन	ससुराल वाले	अनेक प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक हिंसा करके घर से निकाला।	ज़िन्दा	✔	FIR महिला थाना में दर्ज कराई		ग़रीबी के कारण	जातिपंचों व परिजनों के साथ मुद्दे पर व्यापक चर्चा	आगे शिक्षा लेकर ससुराल से छुटकारा पाकर स्वतंत्र जीवनयापन कर रही है।
15.	हरकू गुर्जर	हड़मादा (आसीन्द प0स0)	55 वर्ष	गुर्जर OBC	परिजन	परिवार के लोग	परिजनों द्वारा मारपीट कर निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया	ज़िन्दा	✔	ज़िला मुख्यालय पर प्रार्थना पत्र प्रेषित किया		ज़मीन पर कब्ज़ा करने की मंशा	ग्रामीणों व परिजनों के साथ बैठक	मामला एक माह पूर्व का है गांव स्तर पर अभियुक्त के ख़िलाफ़ दबाव बनाकर पुर्नवास कराया